डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

माफी मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी तहसील टोडाभीम जरिये श्रद्वालू:–

1. नन्दकिशोर (भूतपूर्व प्रधान) पुत्र अमरचंद (मृतक)
2. हरिप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
3. रामहरि पुत्र ठण्डी
4. अमृतलाल पुत्र रामकिशोर
5. प्यारेलाल पुत्र किलान

   समस्त जातियान मीना निवासीयान खिरखिडी तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास जाति ब्राह्मण निवासी खिरिखडी तहसील टोडाभीम (मृतक)

   1/1 कल्याण सहाय पुत्र रामप्रताप शर्मा

   1/2 रामवतार शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा

   समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती)

मु0न0:– 37/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 329/0.07, 467/0.01, 468/1.00, 469/0.34, 470/0.51, 471/0.52, 472/0.55, 473/0.56, 473/1242/0.24, 474/0.51, 476/0.10, 477/1.00, 477/1241/0.12, 501/0.65, 569/3.84, 570/0.03, 571/1256/0.07, 576/0.05, कुल किता 18 कुल रकवा 6.25 है0 मे खातेदार मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास हिस्सा पूर्ण के स्थान पर मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा नवीन ख0न0 569/3.84, 570/0.03, 576/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 3.92 है0 को गै0मु0तलाई सिवायचक घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निज......................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................... [illegible] तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दि0 [illegible] 4.08.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 01.03.2021

मु0न0ः— 37/2021

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

माफी मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी तहसील टोडाभीम जरिये श्रद्वालूः—

1. नन्दकिशोर (भूतपूर्व प्रधान) पुत्र अमरचंद (मृतक)
2. हरिप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
3. रामहरि पुत्र ठण्डी
4. अमृतलाल पुत्र रामकिशोर
5. प्यारेलाल पुत्र किलान
   समस्त जातियान मीना निवासीयान खिरखिडी तहसील टोडाभीम। वादीगण

बनाम

1. मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास जाति ब्राह्मण निवासी खिरिखडी तहसील टोडाभीम (मृतक)
   1/1 कल्याण सहाय पुत्र रामप्रताप शर्मा
   1/2 रामवतार शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा
   समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. तहसीलदार टोडाभीम।
   प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती)

उपस्थितिः— श्री हंसराज गूर्जर एडवोकेट वादीगण

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी न0 2

निर्णय दिनांकः— 14.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 329/0.07, 467/0.01, 468/1.00, 469/0.34, 470/0.51, 471/0.52, 472/0.55, 473/0.56, 473/1242/0.24, 474/0.51, 476/0.10, 477/1.00, 477/1241/0.12, 501/0.65, 569/3.84, 570/0.03, 571/1256/0.07, 576/0.05, कुल किता 18 कुल रकवा 10.17 है0 राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज है।

यह है कि भूमि वर्णित मद न0 1 वादपत्र के भूप्रबंध से पूर्व गत खसरा न0 जमाबन्दी सम्वत 2009—2012 तक मे दर्ज है तथा इसके गत खसरा न0 मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 मे दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल मे दर्शाये गये है। वर्णित आराजीयात माफी मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी के नाम मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा खिरिखडी सम्वत 1984 मे दर्ज है तथा पुजारी लक्ष्मण दास चेला मुरलीदास कौम ब्राहमण साकिन देह दर्ज है। तथा जमाबन्दी सन 2009—2012 तक मे माफी मंदिर के नाम दर्ज है। तथा पुजारी [illegible] दर्ज है।, लेकिन तथ्य व क्लीरिकल भूल से गलत व अवैध रूप से माफी मंदिर [illegible] खातेदारी पुजारी लक्ष्मणदास व उनकी मृत्युउपरान्त चेला मनोहरदास उर्फ मुरारीदास [illegible] दर्ज कर दी है, मूर्ति मंदिर सदैव अव्यस्क की श्रेणी मे आती है इसलिये माफी मंदिर की [illegible] का पुजारी या अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी का इन्द्राज नही होता है, चुकि पुजारी का माफी [illegible]र की सेवा पूजा करने का अधिकार होता है, तथा कृषि भूमि की काश्त भी मंदिर की तरफ से पुजारी या व्यक्ति करता है, जिससे मंदिर के रख रखाव, भोग विलास अधि के काम आ सके। इस प्रकार कानूनन माफी मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:44:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

की खातेदारी पुजारी के नाम गलत, अवैध व न्यायालय के आदेश के बिना की गई है। तथा माफी मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये।

यह है कि वादीगण खिरखिडी के मूल निवासी है, तथा मंदिर मे श्रद्वा रखते है, उनके अधिकार व हित को संरक्षित होना आवश्यक समझते है इसलिये वादीगण ने दिनांक 24.02.2021 को प्रतिवादी से हाथ जोडकर निवेदन किया कि मंदिर की भूमि को वापिस मंदिर के नाम करा दो, इस पर वह इन्कार हो गया इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:44:26 IST
Reason: SelfAttested

अतःदावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी ... इस्तकरारिया डिकी किया जाकर ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 329/0... 468/1.00, 469/0.34, 470/0.51, 471/0.52, 472/0.55, 473/0.56, 473/1242/0.24, 474/0.51, ...6/0.10, 477/1.00, 477/1241/0.12, 501/0.65, 569/3.84, 570/0.03, 571/1256/0.07, 576/0.05, कुल किता 18 कुल रकवा 10.17 है0 मे प्रतिवादी न0 1 के स्थान पर मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1/1व 1/2 बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 18 कुल रकवा 10.17 है0 वर्तमान मे मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 233, 234 235, 236, 239, 240 कुल किता 6 मुताबिक खतौनी बन्दोस्त सम्वत 2009–2012 मे माफी मंदिर लक्ष्मणदास चेला मुरारीदास कौम स्वामी सा.देह दर्ज रिकार्ड है। वर्णित साबिक ख0न0 233, 234 235, 236, 239, 240 कुल किता 6 के गत खसरा न0 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 कुल किता 6 मिसल हकीयत बन्दोबस्त मौजा खिरखिडी सम्वत 1984 मे माफी मंदिर ठाकुरजी बॉके मंदिर कदमखुण्डी बहतमाम पुजारी लक्ष्मणदास चेला मुरलीदास कौम पुजारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। नवीन ख0न0 569/3.84, 570/0.03, 576/0.05, साबिक ख0न0 355 मिन 571/1256/0.07 साबिक ख0न0 354 मिन कुल रकवा 15 बीधा 10 बिस्वा से बने है। साबिक ख0न0 354 मिन लक्ष्मणदास चेला मुरलीदास कौम स्वामी के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं साबिक ख0न0 354 के नवीन ख0न0 575, 571/1256 बने है ख0न0 571/1256 रकवा 0.07 है0 वर्तमान मे मनोहरदास पुत्र लक्ष्मणदास जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। खतोनी बन्दोबस्त 2000–2019 के खाता न0 63 के साबिक ख0न0 355 रकवा 15 बीधा 10 बिस्वा की किस्म गै0मु0तालाब सिवाचयक दर्ज रिकार्ड है। साबिक ख0न0 355 से नवीन ख0न0 569, 570, 576 बनाये गये जिसकी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे उक्त नवीन खसरा नम्बरान की किस्म गै0मु0 तलाई मनोहर दास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास जाति ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 355 रकवा 15 बीधा 10 बिस्वा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त 2000–2019 अनुसार गै0मु0तालाब दर्ज है। अतः वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के ख0न0 569, 570, 576 की किस्म गै0मु0 तालाब सिवायचक भूमि दर्ज किया जाना उचित है।

वादीगण वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता कुल किता 18 कुल रकवा 10.17 है0 राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज है। वर्णित आराजीयात भूप्रबंध से पूर्व गत खसरा न0 जमाबन्दी सम्वत 2009–2012 तक मे दर्ज है तथा इसके गत खसरा न0 मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 मे दर्ज है जो कि मिलान क्षेत्रफल मे दर्शाये गये है। साबिक आराजीयात माफी मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी के नाम मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा खिरखिडी सम्वत 1984 मे दर्ज है तथा पुजारी लक्ष्मण दास चेला मुरलीदास कौम ब्राहामण साकिन देह दर्ज है। जमाबन्दी सन 2009–2012 तक मे माफी मंदिर के नाम दर्ज है। तथा पुजारी लक्ष्मणदास दर्ज है।, लेकिन तथ्य व क्लीरिकल भूल से गलत व अवैध रूप से माफी मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी पुजारी लक्ष्मणदास व उनकी मृत्यु उपरान्त चेला मनोहरदास उर्फ मुरारीदास के नाम दर्ज कर दी है, मूर्ति मंदिर सदैव अव्यस्क की श्रेणी मे आती है इसलिये माफी मंदिर की भूमि

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

का पुजारी या अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी का इन्द्राज नही होता है, चुकि पुजारी का माफी मंदिर की सेवा पूजा करने का अधिकार होता है, तथा कृषि भूमि की काश्त भी मंदिर की तरफ से पुजारी या व्यक्ति करता है, जिससे मंदिर के रख रखाव, भोग विलास आदि के काम आ सके। अतः प्रतिवादी न0 1 के स्थान पर मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे कुल किता 18 कुल रकवा 10.17 है0 मे मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मनदास हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042–64 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2008–19 अनुसार वर्णित आराजीयात का साबिक हाल खसरा नम्बरान विवरण निम्न प्रकार हैः–

नवीन		साबिक		साबिक के साबिक	
ख0न0	रकवा	ख0न0	रकवा	ख0न0	रकवा
467	0.01	233	3 बीघा 15 बिस्वा	205/1	3 बीघा 15 बिस्वा
468	1.00	233 234		205/2	3 बीघा 12 बिस्वा
469	0.34	234	3 बीघा 12 बिस्वा		
470	0.51	234			
471	0.52	235	4 बीघा 13 बिस्वा	206	4 बीघा 13 बिस्वा
472	0.55	235			
473	0.56	236	2 बीघा 1 बिस्वा	207	2 बीघा 4 बिस्वा
474	0.51	237	2 बीघा 6 बिस्वा	208	2 बीघा 1 बिस्वा
476	0.10	239	3 बिस्वा	210	3 बिस्वा
477	1.00	240	4 बीघा 8 बिस्वा	211	4 बीघा 8 बिस्वा
329	0.07	190 191	4 बिस्वा	164 165	2 बीघा 3 बिस्वा 4 बिस्वा
569	3.84	355 गे0मु0 तलाई	15 बीघा 10 बिस्वा		
570	0.03	355 गे0मु0 तलाई			
576	0.05	355 गे0मु0 तलाई			
501	0.65	190	2 बीघा 13 बिस्वा	164	ख0न0 164 मे शामिल
477/1241	0.12	240 मिन	ख0न0 240 मे शामिल	211	ख0न0 211 मे शामिल
473/1242	0.24	235 236 237	ख0न0 206 मे शामिल	206	ख0न0 206 मे शामिल
571/1256	0.07	354 मिन	1 बीघा 9 बिस्वा	325	1 बीघा 9 बिस्वा

वादपत्र मे वर्णित आराजीयात के साबिक के गत ख0न0 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 कुल किता 6 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2012 मे [illegible] लक्ष्मणदास चेला मुरारीदास कौम स्वामी सा.देह दर्ज रिकार्ड है। उक्त साबिक ख[illegible] 233, [illegible]4, 235, 236, 239, 240 कुल किता 6 मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2009–12 मे माफी [illegible] चेला मुरारीदास कौम स्वामी सा.देह दर्ज रिकार्ड है। उक्त साबिक ख0न0 233, 2[illegible] 235, 236, 239, 240 कुल किता 6 के गत ख0न0 205, 206, 207, 208, 209, 210 मिसल ह[illegible]त बन्दोबस्त मौजा खिरखिडी सम्वत 1984 अनुसार माफी मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी बहतमाम पुजारी लक्ष्मणदास चेला मुरलीदास कौम ब्राहामण सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

पत्रावली मे शामिल प्रतिवादी न0 1 ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर राजीनामा इस प्रकार पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 मनोहरदास मे ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 329/0.07, 467/0.01, 468/1.00, 469/0.34, 470/0.51, 471/0.52, 472/0.55, 473/0.56, 473/1242/0.24, 474/0.51, 476/0.10, 477/1.00, 477/1241/0.12, 501/0.65, 571/1256/0.07 कुल किता 15 कुल रकवा 10.17 है0 के संबध मे राजीनामा हो गया है यह भूमि माफी मंदिर ठाकुरजी बाके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी की मालकाना, कब्जे व खातेदारी की है, क्योकि यह भूमि पूर्व मे भी माफी मंदिर के नाम रही है। मुझ प्रतिवादी न0 1 इस मंदिर का पुजारी है का नाम खातेदारी से हटाकर उक्त आराजीयात माफी मंदिर के नाम कर दी जावे तो मुझे मनोहरदास को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे शामिल तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत पत्रांकः– भू0अ0/2021/3911 दिनांक 24.11.2021 से वर्तमान ख0न0 569, 570, 576 जो साबिक ख0न0 355 रकवा 13 बीधा 10 बिस्वा से बने है। उक्त साबिक ख0न0 355 की किस्म गै0मु0तलाई दर्ज रिकार्ड है। जो कि मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास जाति ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है। उक्त साबिक ख0न0 355 रकवा 13 बीधा 10 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त 2000–19 मे किस्म गै0मु0 तालाब सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त साबिक ख0न0 355 रकवा 13 बीधा 10 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 569, 570, 576 की खातेदारी माफी मंदिर के नाम किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। क्योकि साबिक ख0न0 355 पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात से मंदिर माफी के नाम नही होकर जमाबन्दी सम्वत 2009–12 मे लक्ष्मण दास चेला मुरलीदास कौम स्वामी के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे पूर्व का साबिक रिकार्ड पत्रावली मे शामिल नही है। अतः वादीगण का दावा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 329/0.07, 467/0.01, 468/1.00, 469/0.34, 470/0.51, 471/0.52, 472/0.55, 473/0.56, 473/1242/0.24, 474/0.51, 476/0.10, 477/1.00, 477/1241/0.12, 501/0.65, 569/3.84, 570/0.03, 571/1256/0.07, 576/0.05, कुल किता 18 कुल रकवा 6.25 है0 मे खातेदार मनोहरदास उर्फ मुरारीदास चेला लक्ष्मणदास हिस्सा पूर्ण के स्थान पर मंदिर ठाकुरजी बांके मंदिर कदमखुण्डी विराजमान खिरखिडी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा नवीन ख0न0 569/3.84, 570/0.03, 576/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 3.92 है0 को गै0मु0तलाई सिवायचक घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested